

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड,
87-राजपुर रोड, देहरादून
पत्रांक: नि० 228 / 2-36 (टी०एस०पी०) दिनांक, देहरादून, 23 जुलाई, 2019

सेवा में,

समस्त सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-20 में वन विभाग की अनुदान सं०-31 की राज्य सेक्टर योजना "2406-01-796-04-00-बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण योजना" के मानक मद 29-अनुरक्षण के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के सापेक्ष प्रभागवार भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों का आवंटन।

संदर्भ :- वित्त नियंत्रक/इस कार्यालय का पत्रांक नि० 205/2-36(टी.एस.पी.) दिनांक 20.07.2019।
महोदय,


कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिससे वित्तीय वर्ष 2019-20 में वन विभाग की अनुदान सं० 31 की राज्य सेक्टर योजना "2406-01-796-04-00- बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण योजना" के मानक मद 29-अनुरक्षण के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के सापेक्ष प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड से अनुमोदित भौतिक/वित्तीय लक्ष्य संलग्न कर प्रेषित है।

उक्त आवंटित लक्ष्यों के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश निम्नानुसार है जिनका अक्षरशः पालन किया जाये:-

1. संदर्भित पत्र में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें।
2. कार्यों के सम्पादन में समय-समय पर जारी समस्त संगत शासनादेशों/वित्तीय नियमों/"प्रॉक्योरमेंट नियमावली, 2017" का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. योजनान्तर्गत आवंटित/अवमुक्त की गयी धनराशि की सीमा तक ही कार्य कराये जाने होंगे। अतिरिक्त धनराशि प्राप्ति की प्रत्याशा में कोई कार्य न कराये जायें।
4. अवमुक्त धनराशि का उपयोग संलग्न आवंटित लक्ष्यों/कार्यों की प्राप्ति हेतु ही किया जाये।
5. योजनाओं सम्बन्धी सभी मासिक प्रगति रिपोर्टों में आवंटित लक्ष्यों के अनुसार ही लक्ष्य दर्शाये जाय और उसी के आधार पर लक्ष्य प्राप्ति की समीक्षा की जाय।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीय,



(डॉ० धनंजय मोहन)

प्रमुख वन संरक्षक,
नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन।

संख्या: नि० 228 (1)/3-36 (टी०एस०पी०) तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।

संलग्न- यथोपरि।

(डॉ० धनंजय मोहन)

प्रमुख वन संरक्षक,
नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में वन विभाग के अनुदान सं०-31 (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) की राज्य सैक्टर योजना "2406-01-796-04-00-बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण" के मानक मद 29-अनुरक्षण के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के सापेक्ष लक्ष्यों का आवंटन।

(धनराशि-₹ हजार में)

क० सं०	प्रभाग का नाम	मानक मद 29-अनुरक्षण		
		कार्य विवरण	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5
शासन से अवमुक्त धनराशि-				
1	पिथौरागढ़ वन प्रभाग	वनी०अनु०(हे०)	40	335
2	बद्रीनाथ वन प्रभाग	वनीकरण अनु० हे०	10	150
3	भू०सं० कालसी वन प्रभाग	वनी०अनु०(हे०)	130	1358
		पौधालय अनुरक्षण (सं०)	24810	57
	प्रभाग का योग:-			1415
	कुल योग			1900


(डॉ० धनंजय मोहन)

प्रमुख वन संरक्षक,

नियोजन एवं वित्तीय प्रबधन।

